



भारत में महिला सुरक्षा एवं राजनीतिक अधिकारों का विधिक विश्लेषण: पंचायती राज से नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक

डॉ. नम्रता पात्रे

विधि संकाय, आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, भारत

Article Info

Article History:

Published: 18 Oct 2026

Publication Issue:

Volume 03, Issue 10
October 2026

Page Number:

339-342

Corresponding Author:

डॉ. नम्रता पात्रे

Abstract:

यह शोध-पत्र भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके राजनीतिक अधिकारों के संवैधानिक व विधिक विकास का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत महिलाओं को लैंगिक समानता एवं सुरक्षा की गारंटी दी गई है, किंतु व्यावहारिक धरातल पर उनकी सुरक्षा और राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता रही है।

शोध-पत्र में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित प्रमुख अधिनियमों—जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम (2005), दहेज निषेध अधिनियम (1961), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (POSH) अधिनियम (2013)—तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की महत्वपूर्ण धाराओं (जैसे 498A, 306, 354, 228A) का कानूनी अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह लेख राजनीतिक अधिकारों के क्रमिक विकास को रेखांकित करता है, जिसकी शुरुआत 1992 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन (स्थानीय निकायों में आरक्षण) से होकर 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम') तक पहुँचती है। लेख में संसद एवं राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के प्रावधानों, उसके क्रियान्वयन से जुड़ी शर्तों (जनगणना और परिसीमन) तथा व्यावहारिक चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। निष्कर्षतः, यह अध्ययन विधिक साक्षरता और सामाजिक चेतना के माध्यम से महिलाओं की वास्तविक एवं भयमुक्त राजनीतिक भागीदारी पर बल देता है।

Keywords: महिला सुरक्षा कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023), संवैधानिक अधिकार, भारतीय दंड संहिता (IPC), राजनीतिक प्रतिनिधित्व, घरेलू हिंसा अधिनियम, POSH अधिनियम

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से विरोधाभासी रही है। एक ओर जहाँ मानकों एवं आदर्शों के स्तर पर महिलाओं को उच्च सम्मान दिया गया, वहीं व्यावहारिक जीवन में वे लंबे समय तक भेदभाव, हिंसा और सार्वजनिक जीवन से बेदखली का शिकार रहीं। किसी भी वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की कसौटी समाज के सभी वर्गों—विशेषकर महिलाओं—की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में समान भागीदारी है।

भारतीय संविधान ने न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, बल्कि राज्य को यह दायित्व भी सौंपा कि वह महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु विशेष कानून बनाए। राजनीतिक अधिकारों की दिशा में 1992 के 73वें और 74वें संविधान संशोधन से शुरू हुई यात्रा वर्ष 2023 के 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वाँ संविधान संशोधन) तक पहुँच चुकी है। प्रस्तुत शोध-पत्र भारत में महिलाओं के सुरक्षा संबंधी विधिक प्रावधानों, आपराधिक धाराओं तथा स्थानीय स्वशासन से लेकर संसद तक उनके राजनीतिक अधिकारों का गहन विधिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2. महिलाओं के लिए संवैधानिक गारंटी एवं मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान निर्माताओं ने महिलाओं के व्यापक सशक्तिकरण हेतु एक मजबूत संवैधानिक ढाँचा तैयार किया है:

- **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14):** विधि के समक्ष सभी नागरिक समान हैं और महिलाओं को किसी भी प्रकार के कानूनी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
- **भेदभाव का निषेध एवं विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 15(1) एवं 15(3)):** राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद करने से रोका गया है। साथ ही, अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक उत्थान हेतु विशेष सकारात्मक प्रावधान (Affirmative Action) बनाने का अधिकार देता है।
- **सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर (अनुच्छेद 16):** सरकारी नियुक्तियों में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।
- **राज्य के नीति निर्देशक तत्व:** अनुच्छेद 39(a) आजीविका के समान साधन, अनुच्छेद 39(d) 'समान कार्य के लिए समान वेतन', तथा अनुच्छेद 42 मातृत्व सहायता और कार्यस्थल पर मानवीय दशाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **संसदीय व मताधिकार:** अनुच्छेद 325 और 326 के तहत महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के समान मताधिकार प्राप्त है।

3. भारत में महिला सुरक्षा हेतु प्रमुख अधिनियम एवं आपराधिक धाराएँ

राजनीतिक और सामाजिक सहभागिता तब तक निरर्थक है जब तक कि महिलाएँ भयमुक्त वातावरण में जीवन न जी सकें। भारतीय विधायिका और दंड संहिता ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक दंडात्मक व संरक्षणात्मक कानून बनाए हैं:

(क) विशेष सुरक्षा अधिनियम

1. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह कानून महिलाओं को घरेलू वातावरण में होने वाली शारीरिक, मानसिक, और आर्थिक प्रताड़ना से सुरक्षा, निवास का अधिकार तथा मौद्रिक राहत प्रदान करता है।
2. **दहेज निषेध अधिनियम, 1961:** दहेज लेने, देने या इसके लिए प्रताड़ित करने को गैर-कानूनी घोषित करता है।
3. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (POSH):** सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने हेतु आंतरिक शिकायत समितियों के गठन को अनिवार्य बनाता है।
4. **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (संशोधन 2017):** कामकाजी महिलाओं के लिए 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है।
5. **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976:** लिंग के आधार पर मजदूरी या पारिश्रमिक में भेदभाव को समाप्त करता है।
6. **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006:** कम उम्र में जबरन विवाह को रोककर बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है।

(ख) भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रमुख धाराएँ

- **IPC धारा 228A:** पीड़िता की पहचान उजागर करने पर रोक (2 वर्ष तक की सजा)।
- **IPC धारा 294:** सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें या अभद्र भाषा/गीत गाने पर दंडात्मक प्रावधान।
- **IPC धारा 306:** महिला को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने पर 10 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान।
- **IPC धारा 312-315:** महिला की सहमति के बिना अवैध गर्भपात कारित करने पर कठोर सजा व आजीवन कारावास का प्रावधान।
- **IPC धारा 493:** विवाह का झूठा झांसा देकर शारीरिक शोषण करने पर 10 वर्ष तक की सजा।
- **IPC धारा 498A:** पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा दहेज हेतु क्रूरता या उत्पीड़न करने पर 3 वर्ष की गैर-जमानती सजा।

4. राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विधिक विकास: पंचायतों से संसद तक

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का सफर दो मुख्य चरणों में विभाजित है:

(क) प्रथम चरण: स्थानीय निकायों में आरक्षण (73वाँ व 74वाँ संशोधन, 1992)

संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T ने पंचायती राज और नगर निकायों में 33% (कई राज्यों में 50%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीं। इसने जमीनी स्तर (Grassroots level) पर लाखों महिला नेताओं को जन्म दिया और स्थानीय शासन के स्वरूप को बदला।

(ख) द्वितीय चरण: संसद और विधानसभाओं में आरक्षण (महिला आरक्षण अधिनियम, 2023)

स्थानीय स्वशासन में सफलता के बावजूद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम बना रहा।

- **विधायी इतिहास:** महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में पेश किया गया था, तत्पश्चात 1998, 1999 और 2008 (108वाँ संशोधन विधेयक) में प्रयास किए गए। 2008 का विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित हुआ, किंतु लोकसभा भंग होने के कारण निरस्त हो गया।
- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023):** सितंबर 2023 में संसद द्वारा ऐतिहासिक रूप से पारित इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- **लागू होने की शर्तें एवं चुनौतियाँ:** इस अधिनियम का वास्तविक कार्यान्वयन आगामी दशकीय जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन के आकलन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 'ट्रिपल टेस्ट' (Dedicated Commission, Data-based quota, 50% limit) के मापदंडों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

5. निष्कर्ष एवं व्यावहारिक परिदृश्य

भारत में महिलाओं के विधिक एवं राजनीतिक अधिकारों का ढांचा अत्यंत सुदृढ़ है। 73वें संशोधन से लेकर 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (2023) तक का सफर यह दर्शाता है कि राज्य महिलाओं को निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्थाओं में भागीदार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालाँकि, केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है; जब तक सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता और पितृसत्तात्मक ढाँचे को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक वास्तविक (Substantive) समानता प्राप्त करना कठिन है।

सुझाव:

1. **त्वरित परिसीमन प्रक्रिया:** नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) को बिना किसी विलंब के लागू करने हेतु जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।
2. **कानूनों का कठोर प्रवर्तन:** कार्यस्थल पर उत्पीड़न (POSH) तथा घरेलू हिंसा विरोधी कानूनों का जिला स्तर पर कठोरता से पालन कराया जाए।
3. **व्यापक विधिक जागरूकता:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाएँ ताकि वे अपने सुरक्षात्मक अधिकारों का स्वयं प्रयोग कर सकें।

संदर्भ (References)

1. बसु, डी. डी. (2023). *भारत का संविधान: एक परिचय* (Constitutional Law of India).
2. भौमिक, सौम्या (2023). *समानता बनाम सशक्तिकरण: भारतीय विधानमंडल में महिलाएं*.
3. हुसैन, सादिया (2022). *संसद में महिलाओं का प्रदर्शन: एक मात्रात्मक अध्ययन (1999-2019)*.
4. हेरेडिया, रुडोल्फ सी. (2012). *होल्डिंग अप हाफ द स्काई: रिजर्वेशन्स फॉर विमेन इन इंडिया*.
5. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research Report, 2023). *महिला आरक्षण विधेयक का विधायी इतिहास*.